



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220949
CG-DL-E-08082020-220949

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2338]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2020/श्रावण 15, 1942

No. 2338]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SRAVANA 15, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2020

का.आ. 2637(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1076(अ) दिनांक १३.0३.2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के चेन्नई जिले में नव प्रस्तावित के कि.मी. १३/६१० से कि.मी.१६/००० (विशेष जिला राजस्व अधिकारी (एलए एनएच) 205, NH-716B, NH-4, NH-5 तिरुवल्लुर ऑफिस, 3/4, लाल बगातुर शास्त्री सड़क, नियर तुलसी थिएटर, तिरुवल्लुर 602001) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / दो लेन विथ पवेड शोल्डर / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "२६.०४.२०२०" को "द हिन्दू" और "दिना थंथी" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और जबकि निर्धारित समय के भीतर भूमि मालिकों / उक्त भूमि के इच्छुक व्यक्तियों से कोई आपत्ति याचिका प्राप्त नहीं हुई है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के चेन्नई जिले में नव प्रस्तावित चेन्नई पोर्ट से मदुरावोयल (NH-४) के कि.मी. १३/६१० से कि.मी.

१६/००० के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संछिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु		जिले का नाम: चेन्नई			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: अमिनजिककरई				
	गांव का नाम: अरुम्बक्कम				
1	Block No. 4/T.S. No. 2pt	निजी	रैयत	0.6008	तमिल नाडू हाउसिंग बोर्ड (ब्लाक न. ४ त.स. न. २-२)
	गांव का नाम: कोयम्बेदु				
2	Block No. 34/ T. S. No. 4/1 pt	निजी	रैयत	0.0985	चेत्पेट पुरुशोथम नायडू एंड तवल कुट्टी फ्लश डूर्स एंड फुर्नितुरेस पवत लतड (ब्लाक ३४ त. स. न. ४-४)
			कुल	0.6993	

[फा.सं. NHAI/11013/2/2018/PIU/Chennai dt:08-11-2018/3A/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2020

S.O 2637(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1076 (E) dated 13.03.2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in

the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning, etc.), maintenance, management and operation of Newly Proposed in the stretch of land from Km 13/610 to Km 16/000 (Special District Revenue Officer (LA NH) 205, NH-716B, NH-4, NH-5 Tiruvallur District, No 3/4, Lal Bagathur Sastri St., Periyakuppam, Near Thulasi Theatre, Thiruvallur 602001) in the district of CHENNAI in the State of TAMIL NADU

And whereas the substance of the said notification has been published in the “The Hindu” in English and in “Dina Thanthi” in Tamil both dated 26.04.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection petitions have been received from the land owners/the interested persons in the said land within the time prescribed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule below should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule below shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 13/610 to Km 16/000 (New Elevated Road from Chennai Port to Maduravoyal (NH-4) in the District of Chennai in the State of Tamil Nadu.

State: TAMIL NADU District: CHENNAI					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Aminjikkarai				
	Viilage: Arumbakkam				
1	Block No. 4/T.S. No. 2pt	Private	Ryot Manai	0.6008	Tamil Nadu Housing Board Block 4 T.S. No. 2-2
	Viilage: Koyambedu				
2	Block No. 34/T. S. No. 4/1 pt	Private	Ryot Manai	0.0985	Chetpet Purushothama Naidu and Tvl. Kutti flush doors and furnitures Pvt. Ltd. Block 34 T.S. No. 4-4
			TOTAL	0.6993	

[F. No. NHAI/11013/2/2018/PIU/Chennai dt:08-11-2018/3A/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.